न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना.आई.ए.एस.

अपील संख्या : 20/2019 एल.आर. एक्ट

दयाराम पुत्र मनीराम जाति ब्राहमण साकिन ढाणी लाल खां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्

बनाम

1. शिशपाल पुत्र राधाकृष्ण जाति ब्राहमण साकिन ढाणी लाल खां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रमेश कुमार पुत्र हरदत जाति ब्राहमण साकिन ढाणी लाल खां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट्
श्री नवीन कुमार सारस्वत – रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2
श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 31–10–2019

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) नोहर के निर्णय दिनांक 10–07–2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ढाणी लाल खां के खसरा नम्बर 97 की 4.6410 हैक्टयर व खसरा नम्बर 98 की 4.6410 हैक्टयर कुल 9.2820 हेक्टयर भूमि मे मृतक मामकौरी का 1/4 हिस्सा था तथा मौजा दइदास के खसरा नम्बर 53 की 6.8920 हैक्टयर में मामकौरी का 1/4 हिस्सा खातेदार दर्ज है। मामकौरी लाऔलाद फौत हो चुकी थी। मामकोरी ने दिनांक 4.7.1972 को वसीयत रजिस्ट्र्ड अपीलान्ट के पक्ष मे करवा दी थी। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट शिशपाल वगैरह ने प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत के आधार पर दर्ज व तस्दीक नामान्तरण वसीयत दिनांक 12.4.19 खारिज होने की वजह से अपीलान्ट दयाराम के नाम मोजूद राजस्व रिकॉर्ड से अंकन कलमजन किये जाने का किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मामकौरी के नाम दर्ज भूमि का विरासतन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नामान्तरकरण मुताबिक वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करने का दिया। जिसके विरूद्व यह अपील अपीलांट द्वारा पेश की गई है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि अपीलाधीन भूमि मामकौरी के नाम से खातेदारी भूमि थी। मामकौरी लाऔलाद फौत हो गई थी। मामकौरी द्वारा की गई वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के हक मे नामान्तरणकरण दर्ज हो गया था। सिविल कोर्ट द्वारा वसीयत को खारिज करने पर अपीलान्ट के पक्ष मे दर्ज इन्तकाल को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने अति. जिला कलेक्टर नोहर के समक्ष अपील पेश की जो आज भी जैरकार है। वसीयत निरस्त के पश्चात् अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे अपील पेश की जो अभि जैरकार है। अगर कोई लाऔलाद मर जाता है तो हिन्दु सक्सैशन एक्ट के तहत वारिस प्रमाण जिला न्यायाधीश से सैक्शन 372 इण्डियन सक्सैशन एक्ट मे तहत लिया जाना आवश्यक हे। रेस्पोडेन्ट का यह कथन गलत व झूठा है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर ने अपील खारिज कर दी थी एवं रेवेन्यु बोर्ड मे जैरकार है जबकि राजस्व मण्डल अजमेर मे स्टे के खिलाफ निगरानी की थी जो रिमाण्ड कर दी थी तथा अति. कलेक्टर नोहर ने आज भी अपील जैरकार हे । अपीलान्ट हितबद्व पक्षकार होने के कारण अपील पेश करने का अधिकार है। इसलिए प्राथमिक आपत्ति रेस्पोडेन्ट खारिज की जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमावे । अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1978 पृष्ठ 370, RRD 1995 पृष्ठ 120, RRD 2013 पृष्ठ 512, Indian Sucession act 1925 (S 372) का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कंहा कि खेत खसरा नम्बर 98 की 4.6410 खेत खसरा नम्बर 97 की 4.6410 हैक्टयर कुल 9.2820 हेक्टयर ढाणी लाल खां व खसरा नम्बर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

53 की 6.8920 के भूमि वाके मौजा दईदास मे मृतक मामकौर का 1/4 हिस्सा था । मामकौरी की मृत्यु निर्वसीयती हुई है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व मे अपने पक्ष में वसीयत दिनांक 4.7.1972 कुटरचित व बनावटी रचित की गई जिसको अपर जिला ज सं. 2 नोहर द्वारा तथाकथित वसीयत को शून्य व निष्प्रभावी धोषित कर दिया गया। उक्त वसीयत से पूर्व अपीलान्ट ने मामकौरी द्वारा तथाकथित गोदनामा के आधार पर उक्त भूमि पर अपना हक जताया था जो दिनांक 31.3.2000 को अकृत शून्य व अविधि मान्य घोषित किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट का कोई हक व हिस्सा वादगत भूमि पर नही रहा है ना ही है। अपीलान्ट द्वारा जैर अपील आदेश की अपील करने का कानूनन लोकस अपीलान्ट को नही है क्योकि अपीलान्ट मामकोरी के दूर के रिश्ते मे है। अपीलान्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे अपील पेश करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई स्थगन नही होने से न्यायालय की प्रोसेडिग को नही रोका जा सकता है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अपील आधारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

अपीलान्ट के अभिभाषक का मुख्य तर्क यह कि अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा खारिज करने पर अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे अपील पेश की जो आज भी जैरकार है, अधीनस्थ न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय तक इन्तकाल की कार्यवाही को विचाराधीन रखनी चाहिये थी। विवादित भूमि के नामान्तरकरण को विचाराधीन रखने का मतलब यही होगा कि सिविल न्यायालय के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय की पालना रोकी जावे। अपीलान्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे पेश की गई अपील पर स्थगन आदेश नही होना दोनो ही पक्ष मानते है, ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को विवादित भूमि का नामान्तरकरण विरासतन दर्ज करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही था। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य, अपील के तथ्य से भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–07–2019 मे किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31–10–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.11.14 17:54:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: